

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0:-552 / 2019

ओबरा थाना कांड संख्या :-210 / 2022

15.06.2022 ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA8551 एवं टेलर निबंधन संख्या-BR26GA8552 के स्वामी बिरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा दिनांक-06.06.2022 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु, एक आवेदन दाखिल किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना । दिनांक:-16.06.2022 वास्ते आदेश हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

16.06.2022 ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA8551 एवं टेलर निबंधन संख्या-BR26GA8552 के मुक्ति हेतु दाखिल आवेदन पर अभिलेख आदेश हेतु नियत है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता दिनांक-06.06.2022 को दाखिल आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA8551 एवं टेलर निबंधन सं0-BR26GA8552 ओबरा थाना द्वारा दिया जप्त किया गया है। उक्त वाहन का स्वामी आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर को ओबरा थाना द्वारा जप्त किया गया है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। संबंधित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि "उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है"। जबकि उक्त वाहन पर बालू चोरी का आरोप है। अभिलेख पर आवेदक के द्वारा बालू चोरी से सम्बन्धित हरजाना की राशि मो0-31,000/-रूपया जमा किया गया है, जिससे संबंधित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक-896/ख0, दिनांक-18.04.2022 के तहत समर्पित किया गया है, जो अभिलेख पर है । उक्त वाहन का स्क्रीन प्रतिवेदन कार्यालय जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक-680/परि0 दिनांक-08.06.2022 के तहत समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त वाहन का स्वामी का नाम बिरेन्द्र कुमार सिंह, ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA8551, इंजन सं0-39.1355/SYN15593, चेसिस सं0-WSTN28428115607 एवं टेलर निबंधन संख्या-BR26GA8552, इंजन सं0-00000, चेसिस सं0-SP3912019 अंकित है । उक्त वाहन के स्वामी बिरेन्द्र कुमार सिंह की ओर से उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर का आर.सी की मूल प्रति एवं बीमा की छायाप्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, थाना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त वाहन दिनांक:-07.07.2022 की मध्य रात्रि तक बीमित है । वाहन व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत है लेकिन आवेदक की ओर से परमिट की प्रति दाखिल नहीं किया गया है । कागजात मिलान के उपरांत आवेदक को कागजात वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक बिरेन्द्र कुमार सिंह के पक्ष में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA8551, इंजन संख्या-39.1355/SYN15593, चेसिस सं0-WSTN28428115607 एवं टेलर निबंधन सं0-BR26GA8552, इंजन सं0-00000, चेसिस सं0-SP3912019 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक बिरेन्द्र कुमार सिंह के पक्ष में उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA8551 एवं टेलर निबंधन सं0-BR26GA8552 को मो0-7,00,000X2 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर का आर.सी. एवं ट्रैक्टर का बीमा की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करेगा। आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर के मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक वाहन के रंगरूप-स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा उक्त वाहन का जो कागजात दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी ओबरा को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को पंचनामा बनाते हुए मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।